न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 25/2018 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
पीराराम पुत्र कसाजी जाति देवासी, निवासी गुडा एन्दला, तहसील पाली, जिला पाल (राज.)		1. लाबूराम पुत्र सेराराम उम्र 20 वर्ष जाति देवासी निवासी राईको की ढाणी, गुडा एन्दला, तहसील पाली जिला पाली (राज.) 2. सरपंच ग्राम पंचायत गुडा एन्दला, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी श्री कानाराम सोलंकी उपस्थित
अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 30.07.2018

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल संख्या 61/2013–14 संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.10.2014 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा बुक संख्या 32 का पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.10.2014 ग्राम पचांयत गुड़ा एन्दला प.स. पाली द्वारा जारी किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत निगरानी में कथन किया कि प्रार्थी पीराराम पुत्र कसाजी देवासी का मलिकाना सुदा, कब्जा सुदा एक रहवासीय मकान गांव गुडा एन्दला की आबादी भूमि में आया हुआ है। प्रार्थी लाऔलाद हाने से अपने परिवार में भाई के नाबालिग लड़के अप्रार्थी संख्या 1 लाबूराम पुत्र सेराराम को मौखिक रूप से वर्ष 2013 में गोद लिया। जिसका कोई पंजीयन नहीं करवाया गया न ही कोई इस संबंध में दस्तावेज तैयार किए गए। अप्रार्थी लाबूराम द्वारा प्रार्थी पीराराम की सेवा नहीं करने से प्रार्थी ने लाबूराम को वर्ष 2015 में अपने घर से निकाल दिया तथा उसके द्वारा किए गए मौखिक गोदनामे को खारिज कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 के माता–पिता ने प्रार्थी की बिना अनुमति एवं बिना उसकी सहमति के नाबालिग लाबूराम के नाम प्रार्थी के रहवासीय मकान का ग्राम पंचायत गुडा एन्दला से मिलावट कर वर्ष 2013–2014 में सम्पूर्ण कार्यवाही एक दिन में करते हुए दिनांक 20.10.2014 को विधि विरूद्ध पट्टा संख्या 28 जारी करवा दिया। जबकि ग्राम पंचायत किसी को आबादी भूमि का पट्टा जारी करती है, तो उसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना करते हुए जारी करना चाहिए। जिनकी पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नाबालिग के नाम किसी भूमि का विक्रय विलेख जारी नहीं किया जा सकता है। जैर निगरानी विक्रय विलेख नाबालिग के नाम ग्रा.प. गुड़ा एन्दला द्वारा किया गया जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थी पीराराम एवं अप्रार्थी संख्या 1 लाबूराम द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पीराराम का रहवासीय मकान ग्राम गुडा एन्दला में आया हुआ है। पीराराम लाऔलाद होने से उसने अपने परिवार में भाई के नाबालिग लडके अप्रार्थी संख्या 1 लाबूराम को मौखिक रूप से गोद लिया जिसका पंजीयन

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

नहीं करवाया गया तथा न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज तैयार किया गया। जिससे उक्त गोदनामे को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अप्रार्थी लाबूराम के पक्ष में ग्राम पंचायत गुडा एन्दला द्वारा दिनांक 20.10.2014 को पट्टा संख्या 28 जारी किया गया उस समय लाबूराम की आयु उसके द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड के अनुसार लगभग 16–17 वर्ष थी। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया तब अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग था तथा नाबालिग के हक में जारी पट्टा विधि विरूद्ध है। चुंकि अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित में ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध जारी किया गया पट्टा खारिज किए जाने में अपनी सहमती प्रदान कर दी है। ऐसी स्थिति में स्वीकार्य तथ्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिससे जैर निगरानी पट्टे को जारी करने के संबंध में उसकी वैधानिकता की समीक्षा करना आवश्यक नहीं है। जिस मकान का विक्रय विलेख अप्रार्थी के नाम जारी किया गया उसमें प्रार्थी पीराराम का निवास आज भी है एवं वह जीवित अवस्ता में हाजिर अदातल है। इस संबंध में ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत गुड एन्दला द्वारा दिनांक 07.04.2018 को लिखित में अधिवक्ता प्रार्थी को अवगत कराया है कि जैर निगरानी पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। जब ग्राम पंचायत में जैर निगरानी विक्रय विलेख संबंधी रेकार्ड ही उपलब्ध नहीं है तो उसकी वैधानिकता कैसे प्रमाणित मानी जा सकती है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामें के आधार पर विक्रय विलेख खारिज कराने का स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गुडा एन्दला के द्वारा जारी तथाकथित मिसल संख्या 61/2013–14 संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.10.2014 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा बुक संख्या 32 का पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.10.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत गुडा एन्दला को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर पाली (राज.)